रांची एक्सप्रेस
रांची, रविवार 24 नवम्बर 2013

मामलों के निपटाने में लोक अदालत की भूमिका प्रभावी : न्यायमूर्ति बानुमति

रांची, 23 नवंबर (रां.ए.सं.) : झारखंड उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आर.बानुमति ने कहा है कि मामलों को निपटाने में लोक अदालत प्रभावी भूमिका निभाने में सक्षम है। न्यायमूर्ति बानुमति आज रांची में राष्ट्रीय लोक अदालत के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रही थीं। आज देश भर में लोक अदालतों का आयोजन किया गया। रांची में लोक अदालत का आयोजन झारखंड हाईकोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी और झारखंड स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी द्वारा किया जा रहा है। लोक अदालत के लिए उच्च न्यायालय में सात बेंच का गठन किया गया था, जिसमें वेतन, सेवानिवृत्ति लाभ, पेंशन, ग्रेच्यूटी, वाहन दुर्घटनाओं के क्लेम, भूमि विवाद, ईपीएफ आदि से जुड़े मामलों की सुनवाई हुई। इस मौके पर न्यायमूर्ति डीएन पटेल और न्यायमूर्ति एनएन तिवारी भी उपस्थित थे। लोक अदालत में आपसी सुल के बाद निपटाये गये मामलों के

हाईकोर्ट में राष्ट्रीय लोक अदालत में एक लाभुक को चेक प्रदान करती मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति बानुमति। छाया : आसिफ

लाभुकों को चेक भी प्रदान किये गये। न्यायमूर्ति आर.बानुमति ने कहा कि लोक अदालत मोटर वाहन, दुर्घटना, भूमि विवाद, वैवाहिक, श्रम एवं भूमि अधिग्रहण जैसे मामलों के निपटारे में सहायक सिद्ध हो रही है। मुख्य न्यायाधीश ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि लोक अदालत में वादी-प्रतिवादी के बीच समझौते के आधार पर मामलों का निष्पादन होता है। लोक अदालत में मामलों के निष्पादन के पश्चात कोई भी अपीलीय प्रावधान की व्यवस्था नहीं है। इस कारण मामलों का त्वरित निष्पादन होता है और मुवक्किलों को लंबी लड़ाई नहीं लड़नी पड़ती है।

कार्यक्रम में स्वागत भाषण में न्यायमूर्ति एन.एन. तिवारी ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि लोक अदालत एक ऐसा प्रावधान है जिसके माध्यम से मामलों का शीघ्र निष्पादन होता है और वादी प्रतिवादी के संबंधों में भी कड़आहट पैदा नहीं होती है। आर्थिक मापदंड पर भी यह निपटारा सबसे सस्ता है। कार्यक्रम में उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति एन.पटेल ने कहा कि उच्च न्यायालय में लगभग 800 मामले सूचीबद्ध हुए थे।

सर्वोच्च न्यायालय से जुड़े तीन जिले : न्यायमूर्ति डी.एन. पटेल ने बताया कि मामलों के निष्पादन के लिए राज्य के तीन जिले बोकारो, हजारीबाग और रांची को सर्वोच्च न्यायालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान जोड़ा गया जो कि देश का दूसरा स्थान है। मामलों की सुनवाई के लिए सात बेंच गठित की गयी थी।

साढ़े 18 करोड़ का भुगतान : झारखंड उच्च न्यायालय में आयोजित लोक अदालत में कुल मिलाकर 18,50,73,361 रुपये का भुगतान किया गया। अनेक लोगों को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति पत्र भी दिये गये। कुछ आवेदकों को मुख्य न्यायाधीश आर. बानुमति द्वारा चेक एवं नियुक्तिपत्र दिये गये।

रांची व्यवहार न्यायालय में 15 हजार मामलों का निष्पादन

रांची, 23 नवम्बर (रां.ए.सं.) : रांची व्यवहार न्यायालय में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में आज 15 हजार से अधिक मामलों का निष्पादन किया गया, जबकि लगभग 10 करोड़ रुपये की राजस्व वसूली की गयी। वाहन दुर्घटना दावा से संबंधित 16 मामले भी निष्पादित किये गये एवं लाभुकों को 43 लाख 50 हजार रुपये का चेक भी दिये गये। अदालत में नौ वैवाहिक एवं पारिवारिक मामलों का भी निष्पादन किया गया इस तरह अदालत के माध्यम से चार जोड़ों का परिवार पुन: बस गया। चारों जोड़ों ने एक दूसरे को माला पहनायी एवं सारे गिले-शिकवे दूर कर साथ जीने साथ मरने की कसमे खायी। राष्ट्रीय लोक अदालत का उद्घाटन पूर्वाह्न 9.30 बजे वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सह मुख्य संरक्षक राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण पी. सदाशिवम ने किया। इधर झारखंड उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश एवं झालसा की मुख्य संरक्षक श्रीमती आर. बानुमती, झारखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के कार्यकारी अध्यक्ष न्यायमूर्ति डी.एन. पटेल एवं न्यायमूर्ति एन.एन. तिवारी ने रांची व्यवहार न्यायालय में आकर राष्ट्रीय लोक अदालत का निरीक्षण भी किया। इस अवसर पर झारखण्ड उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश श्रीमती आर. बानूमती ने मोटर वाहन दावा संबंधी मामलों के लाभुकों के बीच चेक का वितरण किया। इसके साथ ही राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से पुन: परिवार बसाने वाले चार जोड़ों के सुखद भविष्य की कामना करते हुए मिलजुल कर रहने की सलाह दी।

मोटर वाहन दावा मामले के लाभुक को चेक सौंपती झारखंड हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश श्रीमती आर बानूमती। छाया : आसिफ

ओरिएंटल इंश्योरेंस ने 35 लाख का भुगतान किया : रांची, 23 नवम्बर : आज यहां राष्ट्रीय लोक अदालत में ओरिएन्टल इंश्योरेंस के वरिष्ठ मंडलीय प्रबंधक आलोक कुमार के नेतृत्व में द्विपक्षीय समझौते के माध्यम से 21 मामलों का निष्पादन किया गया। समझौते के तहत ओरिएन्टल इंश्योरेंस कम्पनी ने 35 लाख रुपए का भुगतान किया।

 प्रभात खबर

हाइकोर्ट. राष्ट्रीय लोक अदालत में जस्टिस भानुमति ने कहा

समझौते पर टिकी हैं लोक अदालतें

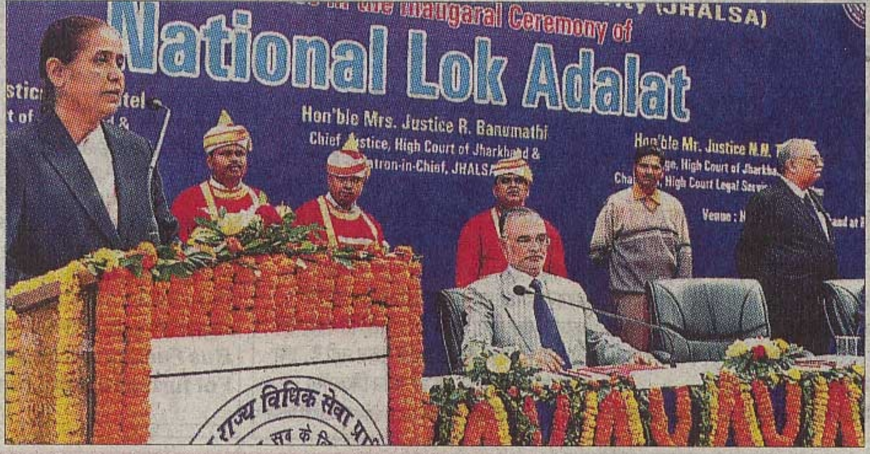

चीफ जस्टिस आर भानुमति ने नेशनल लोक अदालत को दोनों पक्षों के लिए लाभकारी बताया.

35 कर्मी हुए पुनर्बहाल

सात बेंच का गठन

नेशनल लोक अदालत में सात बेंच का गठन किया गया था. बेंचों में 1008 मामले सूचीबद्ध थे. वादी-प्रतिवादियों व अधिवक्ताओं की भीड़ थी. लोग अपने मामले निपटाने के लिए उत्सुक थे. 632 मामले मौके पर ही निष्पादित किये गये. लगभग 18.50 करोड़ रुपये से अधिक का सेटलमेंट हुआ. कई लोगों ने चेक प्राप्त किया. झालसा के सदस्य सचिव सज्जन कुमार दुबे ने बताया कि लोक अदालत में 35 निलंबित कर्मियों को निलंबन मुक्त करने के बाद उन्हें पुनर्बहाल किया गया. इस बाबत आदेश दिये गये. लोक अदालत में चेक नहीं लेने पर श्री दुबे ने बताया कि संबंधित पक्षकार अपना चेक बाद में भी प्राप्त कर सकते है. प्रथम बेंच में सेवानिवृत्त न्यायाधीश कृष्ण मुरारी, आरके महथा, दूसरे में सेवानिवृत्त न्यायाधीश राम विलास गुप्ता, पीके देवमनी, तीसरे में बीके लाल, राजेश कुमार, चतुर्थ में सेवानिवृत्त न्यायाधीश जगन्नाथ मिश्र, नलिनी झा, पंचम में सेवानिवृत्त न्यायाधीश संजीत कुमार चौधरी, रश्मि कुमार, षष्टम में एके राय, राहुल साबू, सप्तम बेंच में केजे चोपड़ा, डा एच वारीश व अन्य शामिल थे.

नेशनल लोक अदालत में 632 मुकदमे निष्पादित

18.50 करोड़ रुपये से अधिक का हुआ सेटलमेंट

इन्हें मिला सीसीएल में नौकरी का नियुक्ति पत्र

विनोद उरांव, सतीश ओझा, बाचन मांझी, सुधीर कुमार प्रीतम, संतोष मुंडा, कैलाश.

वरीय संवाददाता, रांची

लोक अदालतें समझौते पर टिकी होती हैं. आपसी सहमति से मामले निष्पादित किये जाते हैं. यह दोनों पक्षों को मुस्कराने का मौका देता है. झालसा फ्री लीगल सर्विस मुहैया कराती है. नेशनल लोक अदालत के लिए पूरे देश में 39 लाख केस सूचीबद्ध किये गये. झारखंड में पांच लाख मामले लोक अदालत में भेजे गये. उक्त बातें चीफ जस्टिस आर भानुमति ने कही. वे शनिवार को झारखंड हाइकोर्ट परिसर में नालसा व झालसा की ओर से आयोजित नेशनल लोक अदालत को संबोधित कर रही थीं. चीफ जस्टिस आर भानुमति ने शुरुआत हिंदी से की. उन्होंने उपस्थित लोगों का स्वागत किया.

वरिष्ठ न्यायाधीश डीएन पटेल ने कहा कि नेशनल लोक अदालत को सफल बनाने के लिए 19 नवंबर से ही मामलों के निपटारे की प्रक्रिया शुरू कर दी गयी थी. 50,000 मामले निबटाये जा चुके हैं. 3,400 चेक बन कर तैयार है. न्यायाधीश पटेल ने कहा कि लोक अदालत के फैसले को किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है. इसमें अपील का कोई प्रावधान नहीं है. जस्टिस एनएन तिवारी ने कहा कि लोक अदालत की व्यवस्था काफी महत्वपूर्ण है. यह एक ऐसा फोरम है, जिसमें लोगों की भागीदारी व आपसी सहमति से समस्याएं सुलझायी जाती है. वादी-प्रतिवादियों में वैमनस्यता भी नहीं आयेगी. झालसा के सदस्य सचिव सज्जन कुमार दुबे ने धन्यवाद ज्ञापन किया. इससे पूर्व चीफ जस्टिस आर भानुमति ने छह लोगों को सीसीएल में नौकरी के लिए नियुक्ति पत्र सौंपा. 10 वर्षों से अपनी पति के मौत का इंश्योरेंस क्लेम का दावा करनेवाली अंजना वर्मा, रोशनी मिश्र को चेक प्रदान किया गया. जवाहरलाल अग्रवाल, तुलसी मोदी सहित सैकड़ों लोगों को लोक अदालत में चेक सौंपे गये. भूमि अधिग्रहण मामले में प्रतिकात्मक रूप से शकुंतला देवी व सूर्यदेव कुमार सिंह को मुआवजा का चेक दिया गया. डीपीएस स्कूल के विद्यार्थी कार्यक्रम में शामिल हुए. मौके पर न्यायाधीशगणों के अलावा रजिस्ट्रार जनरल एवी सिंह, महाधिवक्ता आरएस मजूमदार, वरीय अधिवक्ता पीसी त्रिपाठी, डा एसके वर्मा, भवेश कुमार, आर मुखोपाध्याय, महीप कुमार सिंह, अरविंद विजय विलुंग, अजय सिंह, दर्जनों गणमान्य लोग पक्षकार व अधिवक्ता उपस्थित थे.

राज्य भर में 85 हजार मामले निबटाये गये

देर शाम तक हो रहा था आंकड़ा तैयार

रांची. राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार (नालसा) की ओर से आयोजित नेशनल लोक अदालत में शनिवार को झारखंड में 85 हजार से अधिक मामलों का निपटारा हुआ.

देर शाम तक अदालत में निबटाये गये मामलों का आंकड़ा तैयार किया जा रहा था. राज्य विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से मिली जानकारी के अनुसार निष्पादित मामलों की संख्या में वृद्धि हो सकती है. अब तक मिली जानकारी के अनुसार लगभग 85 करोड़ रुपये से अधिक के मामलों में समझौता हुआ है. इस राशि में से करोड़ों रुपये का वितरण भी लाभार्थियों के बीच किया गया. झालसा के कार्यकारी अध्यक्ष जस्टिस डीएन पटेल ने इसके लिए सरकार समेत बैंक, इंश्योरेंस समेत कई विभागों के अधिकारियों को निर्देश जारी किया था. झारखंड में अब तक एक दिन में इतने मामलों का निबटारा नहीं हुआ है. मामलों में न्यायालय में विचाराधीन के अलावा प्री लिटिगेशन के मामले भी शामिल हैं.

भारत के मुख्य न्यायाधीश ने लिया जायजा

नेशनल लीगल सर्विस ऑथोरिटी (नालसा) की वीडियो कांफ्रेंसिंग से झारखंड के रांची, हजारीबाग व बोकारो सिविल कोर्ट में आयोजित नेशनल लोक अदालत का जायजा लिया गया. यह जायजा भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस पी सदाशिवम ने स्वयं लिया. उन्होंने मुकदमों के निपटारे के लिए टिप्स भी दिये.

इंश्योरेंस कंपनी ने 35 लाख रुपये का क्लेम दिया

लोक अदालत में मोटर दुर्घटना बीमा से संबंधित 21 मामलों में का निष्पादन हुआ. दी ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लि मंडलीय कार्यालय-एक, रांची द्वारा दावों के द्विपक्षीय समझौते के तहत 35 लाख रुपये का सेटलमेंट किया गया. जानकारी वरिष्ठ मंडलीय प्रबंधक आलोक कुमार सिंह व सहायक प्रबंधक अविनाश कुमार ने दी.

इधर, सिविल कोर्ट में

15 हजार से अधिक मामलों का निबटारा

लोक अदालत को लेकर लोगों में था उत्साह.

रांची : सिविल कोर्ट में लगे राष्ट्रीय लोक अदालत में 15 हजार से अधिक मामले निपटाये गये. समझौते के तहत दस करोड़ से अधिक रुपये विभिन्न पार्टियों के बीच प्रदान किये गये. विभिन्न बैंकों के बकाये ऋण की वसूली, भूमि अधिग्रहण, वाहन दुर्घटना का दावा, बिजली विभाग से संबंधित, वन विभाग, राजस्व, बैंक सर्टिफिकेट केस, श्रम, वैवाहिक/पारिवारिक, आपराधिक मामले निपटाये गये. वादों के निष्पादन के लिए 33 बेंच का गठन किया गया था. सिविल कोर्ट में पहुंचे 1077 मामलों से 1,12,06622 रुपये का सेटलमेंट कराया गया. लेबर कोर्ट में दायर आठ मामलों से 7,15,470 रुपये, सेंट्रल लेबर डिपार्टमेंट में 42,55,179 रुपये सेटलमेंट कराये गये. एमएसीटी क्लेम (मोटर वाहन दुर्घटना) से संबंधित 43, 50,000 रुपये का भुगतान किया गया. इससे पूर्व सुबह नौ बजे ई-कोर्ट रूम में वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये राष्ट्रीय लोक अदालत का उद्घाटन हुआ. इधर, ऋण वसूली अधिकरण के तत्वावधान में बैंकों से संबंधित मामले निबटाये गये. इसमें बैंकों के उन मामलों को लिया गया, जो अधिकरण में लंबित हैं. आपसी सहमति से 38 मामलों का निबटारा किया.

टूटे घर फिर से जुड़े

रांची. लोहरदगा निवासी मेहराब अली व बेड़ो निवासी वाजदा तब्बसुम का वैवाहिक जीवन टूट के कगार पर था. दोनों की शादी डेढ़ वर्ष पूर्व हुई थी. शादी के बाद दोनों में विवाद हो गया था. पति -पत्नी अलग हो गये थे. पत्नी वाजदा ने मेहराब पर मेंटनेंस केस दायर किया था. दोनों को गलती का एहसास हुआ.राष्ट्रीय लोक अदालत में दोनों के बीच सुलह हुआ. दोनों ने एक दूसरे को माला पहना कर फिर साथ रहने की शपथ ली. वहीं काफिल एवं असगरी की शादी 2006 में हुई थी. एक छह साल की बच्ची भी है. घरेलू विवाद में दोनों अलग रह रहे थे. दोनों ने भी सुलह किया. फैमिली कोर्ट से आज नौ मामलों में समझौता हुआ.

राष्ट्रीय लोक अदालत में 54 करोड़ के मामले निष्पादित

40 न्यायिक बेंचों ने निबटाये मामले

संवाददाता

रांची: देश के पहले राष्ट्रीय लोक अदालत ने सुलहनीय मामलों के निष्पादन के मामले में ऐतिहासिक सफलता दर्ज की। शनिवार को राज्य भर में लगे लोक अदालतों में मामलों के निष्पादन को लेकर स्थिति यह थी कि जगह-जगह शिविर लगाकर मामलों का निष्पादन किया गया। शनिवार को हाईकोर्ट और रांची सिविल कोर्ट परिसर में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में हजारों मामले निष्पादित किये गये। राष्ट्रीय लोक अदाल के जरिये 54 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया, जिसमें हाईकोर्ट में 18 करोड़ और सिविल कोर्ट में 36 करोड़ रुपये का भुगतान शामिल है। सिविल कोर्ट में कुल 16 हजार मामले का निबटारा किया गया। इसके अलावा अभी और मामलों के आंकड़े आने बाकी हैं।

समझौतों के आधार पर होता है निष्पादन: सीजे

हाईकोर्ट में राष्ट्रीय लोक अदालत का उद्घाटन के करते हुये मुख्य न्यायाधीश आर बानुमति ने कहा कि लोक अदालत के जरिये वादी-प्रतिवादी के बीच समझौतों के आधार पर मामलों का निष्पादन किया जाता है। यहां मामलों के निष्पादन के बाद कोई अपीलीय व्यवस्था नहीं है। इस वजह से त्वरित रूप से मामले निष्पादित होते हैं, जिससे मुअक्किलों की लंबी लड़ाई की जरूरत नहीं होती।

वादी-प्रतिवादियों के संबंध बने रहते हैं: न्यायमूर्ति तिवारी

हाईकोर्ट के लीगल सर्विसेज कमेटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति एनएन तिवारी ने कहा कि लोक अदालत न्याय पाने का ऐसा साधन है, जिसमें मामलों के निष्पादन के बाद भी वादी-प्रतिवादियों के संबंध बने रहते हैं। उन्होंने कहा कि आर्थिक मापदंडों पर भी यहां का निबटारा सबसे सस्ता होता है। झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार(झालसा) के कार्यकारी अध्यक्ष न्यायमूर्ति डीएन पटेल ने कहा कि तीन जिलों रांची, बोकारो और हजारीबाग के मामलों को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जोड़ा गया, जो देश भर में दूसरे स्थान पर है। इसके पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आर बानुमति ने हाई कोर्ट और सिवल कोर्ट में कुछ लोगों को भुगतान से संबंधित चेक प्रदान किंये। इसके अलावा उन्होंने अलग होनेवाले पति-पत्नी के पांच जोड़ों फिर से एक साथ जीवन व्यतीत करने के फैसले पर बधाई दी। अदालत के लिये हाईकोर्ट में सात और सिविल कोर्ट में 33 न्यायिक बेंचों का गठन किया गया था। राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंकिंग, रेलवे, बिजली, माप-तौल, लेबर और सर्टिफिकेट समेत 14 प्रकार के मामलों का निष्पादन किया गया।

सुप्रीम कोर्ट के सीजे ने देखा मामलों का निषादन

सिविल कोर्ट में लगे वीडियो कांफ्रेंसिग के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के सीजे पी सदाशिवम और नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष न्यायमूर्ति जीएस सिंघंवी, सुप्रीम कोर्ट के लीगल सर्विसेज कमेटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति एके पटनायक समेत हाईकोर्ट के न्यायाधीशों ने राष्ट्रीय लोक अदालत की प्री-लीटिगेटेड मामलों की कार्रवाई को देखा।

इन जोड़ों का बसा संसार

सिविल कोर्ट परिसर में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में सात पूर्व शादी शुदा जोड़ों का संसार फिर से बस गया। इनमें से पांच जोड़े को मुख्य न्यायाधीश आर बानुमति ने माला पहनाकर शुभकामना दी। इनमें लोहरदगा निवासी मेहराब अली और वाजिदा तबस्सुम, काफिल अख्तर और असगरी परवीन, रांची निवासी अरविंद कुमार और अर्चना देवी, इरशाद खां और रौशन आरा उर्फ तरन्नुम और मुकेश भगत और शारदा देवी हैं।

सड़क दुर्घटना के सात लोगों को मिला चेक

राष्ट्रीय लोक अदालत में मुख्य न्यायाधीश के हाथों सड़क दुर्घटना के सात मामले से जुड़े लोगों को चेक प्रदान किया गया। इनमें कार्तिक राम गुप्ता को 9.50 लाख, कौशल्या देवी को साढ़े तीन लाख, उजू उरांव को तीन लाख, सोहगी देवी को 3.55 लाख, सावित्री देवी को 3.30 लाख, मनु कुजूर को 2.70 लाख और रितु कुजूर को 2.70 लाख रुपये का दिया गया।

भारतीय न्यायिक आयोग की स्थापना जरूरी : अवधेश

रांची : पूर्व सांसद व राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के पूर्व सदस्य राम अवधेश सिंह ने कहा कि अखिल भारतीय न्यायिक आयोग की स्थापना होना जरूरी है। जब तक उच्चतर न्यायपालिका और जिला जजों की नियुक्ति आयोग द्वारा नहीं की जायेगी, तब तक आम लोगों को न्याय नहीं मिल सकता है। श्री सिंह शनिवार को रांची परिसदन में पत्रकारों से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 के तहत आयोग की स्थापना के लिए राष्ट्रव्यापी संघर्ष करना होगा। चारा घोटाले में देश में पहली बार पटना हाई कोर्ट ने तीन जजों ने सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार द्वारा स्थापित न्यायिक एवं प्रशासनिक प्रक्रिया को बदल कर सीबीआई को लालू प्रसाद की गिरफ्तारी का आदेश दिया था। वहीं दानापुर के ब्रिगेडियर को गिरफ्तार करने का सीधे आदेश दे दिया था। बिग्रेडियर ने इस पर नाराजगी जतायी और जज को कहा कि उन्हें केवल कमांडर इन चीफ ही आदेश दे सकता है। श्री सिंह ने जजों की नियुक्ति संबंधी कॉलेजियम को तत्काल समाप्त कर देना चाहिए ताकि उच्चतर न्यायपालिका में कुलीनतंत्री परिवारों के एकाधिकार को समाप्त किया जा सके। उन्होंने कहा कि न्यायिक आयोग के साथ ही संघ लोक सेवा आयोग के दस सदस्यों में आठ दलित, अल्पसंख्यक और ओबीसी के सदस्य व दो द्विज सदस्य रहेंगे तब प्रशासन ठीक ढंग से काम कर सकता है। उन्होंने कहा कि संघ लोक सेवा आयोग की मौखिक परीक्षा 300 अंक की जगह 30 अंक की होनी चाहिए। श्री सिंह अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति-जनजाति एवं धार्मिक अल्पसंख्यक महासंघ के अध्यक्ष भी हैं। मौके पर संघ के प्रदेश प्रभारी कृष्ण दयाल सिंह भी उपस्थित थे।

श्रम न्यायालय के आठ मामले निष्पादित

राष्ट्रीय लोक अदालत में श्रम न्यायालय के आठ मामलों का निष्पादन किया गया। इसमें मजदूरों को कुल सात लाख 15 हजार चौर सौ 74 रुपये का भुगतान किया गया। मामलों में जिन्हें भुगातन किया गया उनमें नाजमुन खातुन बनाम सत्येंद्र कुमार, श्री प्रवर्तन पदाधिकारी बनाम परीक्षित महतो, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी बनाम परीक्षित महतो, महीपाल मां द्वारा श्र प्र पदा बनाम हराधन महतो, कातला मां, श्र प्र पदा बनाम हराधन महतो, सितु देवी द्वारा श्र प्र पदा बनाम हराधन महतो, लालमुनी कुमारी द्वारा श्र प्र पदा हराधन महतो और अशिरन खातून बनाम चोलामंडलम इंश्योरेंस कंपनी प्रमुख हैं।

जेल अदालत से15 कैदी मुक्त

राट्रीय लोक अदालत में डीएलएसए के तत्वावधान में जेल अदालत का आयोजन किया गया। अदालत के जरिये कुल 53 मामलों में से 17 का निष्पादन किया गया, जिससे 16 कैदी लाभान्वित हुये।

सभी 16 कैदियों में से 15 को शनिवार को मुक्त कर दिया गया, जबकि एक कैदी के अर्थदंड की राशि जाम नहीं होने से उसे मुक्त नहीं किया जा सका। मौके पर न्यायाकि दंडाधिकारी दीपक वर्णवाल, एसएन तिवारी, चंदन, श्वेता कुमारी, अर्चना कुमार के अलावा कारधीक्षक दिलीप कुमार प्रधान, कारापाल नरेंद्र प्रसाद सिंह समेत अन्य मौजूद थे।

85 हजार मामलों का हुआ निपटारा

लोक अदालत

- हाई कोर्ट से लेकर जिलों तक हुई डेढ़ लाख मामलों की सुनवाई
- सैकड़ों पुराने मामले निपटाए गए वादी-प्रतिवादी को राहत

जागरण ब्यूरो, रांची : राजधानी रांची सहित पूरे में राज्य में विभिन्न स्तरों पर शनिवार को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालतों में तकरीबन डेढ़ लाख मामलों की सुनवाई हुई। परिणामस्वरूप दोनों पक्षों की सहमति से कम से कम 85 हजार मामलों का ऐतिहासिक निष्पादन किया गया। 82 करोड़ रुपये का समझौता पक्षकारों को बीच हुआ। इस क्रम में अधिकांशतः बैंकों के ऋण मामले, कर्मचारियों के बकाये, बिजली बोर्ड के मामलों के साथ बीएसएनएल के मामलों का निपटारा हुआ। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर ये लोक अदालतें लगाई गई थीं।

हाई कोर्ट में राष्ट्रीय लोक अदालत का उद्घाटन मुख्य न्यायाधीश जस्टिस आर बानुमति ने किया। इस अवसर पर उन्होंने लोक अदालतों को समाज के सभी वर्गों के लिए लाभप्रद बताया। उन्होंने कहा कि समाज के पिछड़े और सीमांत समुदाय के लोगों के लिए वैकल्पिक न्याय व्यवस्था के माध्यम से विवादों को निपटारा हमेशा सराहनीय होता है। मुख्य न्यायाधीश ने अपने संबोधन में कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने वीडियो कांफ्रेंसिंग द्वारा राज्य के तीन जिलों रांची, बोकारो और हजारीबाग से सीधा संवाद कर लोक अदालतों के बावत जानकारी प्राप्त की। यह गर्व की बात है। पूरे देश में छह जिले चुने गए थे जहां से सुप्रीम कोर्ट ने सीधा संपर्क साधा। उनमें से तीन जिले झारखंड के होना गौरव की बात है।

हाई कोर्ट में निपटे 632 मामले : इस अवसर पर हाई कोर्ट में लगभग 1008 मामलों की सुनवाई हुई। इसके लिए सात पीठें बनाई गई थीं। इनमें से 129 मामले प्री लिटिगेशन के थे और 979 मामले पोस्ट लिटिगेशन स्टेज पर थे। कुल 632 मामलों का निपटारा हो गया। दोनों पक्षों की सहमति से लगभग 18.51 करोड़ रुपये का वितरण विभिन्न मामलों के लाभुकों के बीच किया गया। इस अवसर पर राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के कार्यकारी अध्यक्ष न्यायमूर्ति डीएन पटेल और न्यायमूर्ति एनएन तिवारी ने भी अपने विचार रखे और लोक अदालतों को समाज के लिए बेहद महत्वपूर्ण बताया। जस्टिस तिवारी ने कहा कि इस राज्य में इतने बड़े पैमाने पर लोक अदालतों में मामलों को आना बताता है कि लोगों की वैकल्पिक न्यायिक व्यवस्था पर आस्था है। झालसा के सदस्य सचिव सज्जन कुमार दुबे ने अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापन किया। मौके पर हाईकोर्ट के पूर्व जज आरके सिंह, महाधिवक्ता आरएस मजूमदार, अपर महाधिवक्ता अजित कुमार और जय प्रकाश, बार कौंसिल के चेयरमैन राजीव रंजन, वरीय अधिवक्ता पीसी त्रिपाठी, एसएन पाठक, आनंद सेन, अनूप कुमार मेहता, राजेश शंकर, गृह सचिव एनएन पांडेय, बिजली बोर्ड के चेयरमैन एसएन वर्मा, हाईकोर्ट रजिस्ट्री के अधिकारी मौजूद थे।

हाईकोर्ट में राष्ट्रीय लोक अदालत में लाभुक रंजना वर्मा को चेक देतीं मुख्य न्यायाधीश आर बानुमति साथ में डीएन पटेल व अन्य।

मुख्य न्यायाधीश के निर्देश पर लगी लोक अदालतें : भारत के मुख्य न्यायाधीश और राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार के मुख्य संरक्षक जस्टिस पी सतशिवम के निर्देश पर 23 नवंबर को देश भर में लोक अदालतें लगाई गईं। इसी के तहत झारखंड के सभी जिलों में जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वाधान में लोक अदालतों का आयोजन किया गया। इन अदालतों में चूंकि मामलों का निष्पादन आपसी सहमति से हुआ, इसलिए इन पर हुए फैसले को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती।

कोई बच्चा नहीं बनना चाहता वकील हाईकोर्ट में शनिवार को आयोजित लोक अदालतों में दिल्ली पब्लिक स्कूल रांची के बच्चे भी उपस्थित थे। अपने संबोधन में झालसा के कार्यकारी अध्यक्ष न्यायमूर्ति डीएन पटेल ने बच्चों को देश का भविष्य बताया और उन्हें इस तरह की वैकल्पिक न्यायिक प्रणाली से अवगत होने को बेहतर बताया। जब बच्चों से पूछा गया कि आप में से कितने बच्चे भविष्य में अधिवक्ता बनना चाहते हैं तो किसी ने भी उत्सुकता नहीं दिखाई, अलबत्ता मुस्कुरा कर रह गए। जस्टिस पटेल ने स्कूल के अध्यापकों से कहा कि वे बच्चों को इस पेशे की अच्छाइयों से अवगत कराते हुए इसे अपनाने को प्रेरित करें।

विधिक सेवा प्राधिकार को सराहा : हाईकोर्ट में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत के उद्घाटन के मौके पर झारखंड की मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आर बानुमति ने अपने संबोधन की शुरुआत हिंदी में की। उन्होंने कहा कि इस राज्य में आकर काफी खुशी हुई। झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार ने काफी अच्छा काम किया है।

जिन्हें मिला चेक : मोटर वाहन दुर्घटना में पति खो चुकी रंजना वर्मा को हाईकोर्ट में लगाई गई लोक अदालत में नेशनल इंश्योरेंस कंपनी द्वारा 9.81 लाख रुपये का चेक प्रदान किया गया। इनके पति की दुर्घटना में मौत वर्ष 2003 में हो गई थी। करीब दस वर्षों तक मुकदमा लड़ने के बाद लोक अदालत में ही निपटारा हो सका। इंश्योरेंस के ही एक अन्य मामले में रोशनी मिश्रा को 8.91 लाख का चेक लोक अदालत में दिया गया। रांची विश्वविद्यालय द्वारा पेंशन, ग्रेच्युटी, एरियर आदि के 84 मामलों में लगभग चार करोड़ तेरह लाख रुपये का चेक वितरित किया गया। इनमें से दो लोगों जवाहर लाल अग्रवाल और तुलसी मोदी को मंच पर उनके ग्रेच्यूटी का क्रमशः 9.63 लाख और नौ लाख रुपये का चेक प्रदान किया गया।

नौकरियों की बहार : सीसीएल और बीसीसीएल के भी करीब चार दर्जन मामलों का निष्पादन हाईकोर्ट की लोक अदालत में हुआ। सीसीएल ने छह लोगों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति पत्र दिया। सीसीएल ने तीन दर्जन वैसे लोगों को भी नौकरी में वापस रखा, जिनकी सेवा लंबे समय तक अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के कारण समाप्त की जा चुकी थी। इसी प्रकार बीसीसीएल ने अपने पांच पूर्व कर्मियों को फिर से नौकरी पर रखे जाने के संबंध में पत्र जारी किया।

लोक अदालत में फिर एक दूजे के हुए दंपती

जागरण संवाददाता, रांची : सिविल कोर्ट में लगाए गए नेशनल लोक अदालत में 15 हजार मामलों का निष्पादन किया गया। साथ ही मामले के पक्षकारों को दस करोड़ रुपये दिया गया। इसमें बैंक, मोटरवाहन दुर्घटना, बीएसएनएल सहित कई मामले निष्पादित किए गए। यह जानकारी जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव संतोष कुमार ने दी। लोक अदालत में हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आर बानुमति, झालसा के कार्यकारी अध्यक्ष जस्टिस डीएन पटेल, न्यायमूर्ति एनएन तिवारी, रजिस्ट्रार जनरल एवी सिंह शनिवार को सिविल कोर्ट पहुंचे।

सभी ने वीडियो कांफ्रेंसिंग ई-कोर्ट पहुंचकर नेंशनल लोक अदालत में निपटाए गए मामलों का जायजा लिया। साथ ही कुटुंब न्यायालय के माध्यम से अलग रह रहे चार दंपती को मिलाया गया। चीफ जस्टिस ने इन चारों पति-पत्नी के बीच एक दूसरे से माला पहनवाया। उन्होंने अलग रह रहे पति-पत्नी को एक साथ होने पर खुशी जाहिर की और मिल-जुलकर रहने की नसीहत दी। मोटरवाहन दुर्घटना में मृत व्यक्ति के आश्रितों को चेक प्रदान कर विदा किया। महिलाओं को उन्होंने सलाह दी कि पति के कामों में हाथ बंटाकर साथ-साथ चलने में सहयोग करें।

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने वीडियो कांफ्रेंसिंग से देखी नेशनल लोक अदालत की कार्यवाही : सिविल कोर्ट में नेशनल लोक अदालत की कार्यवाही दिल्ली में बैठे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति पी. सदाशिवम एवं राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार के कार्यकारी अध्यक्ष जीएस सिंघवी तथा झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस आर बानुमति, जस्टिस डीएन पटेल एवं एनएन सिन्हा ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से देखी। जबकि रांची में वीडियो कांफ्रेंसिंग ई-कोर्ट में प्रधान न्यायायुक्त एसएच काजमी, जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव संतोष कुमार, रजिस्ट्रार राजीव रंजन, स्थाई लोक अदालत के अध्यक्ष उमाशंकर प्रसाद सिन्हा एवं अन्य सदस्य उपस्थित थे।

सिविल कोर्ट में लगी राष्ट्रीय लोक अदालत में पहुंची मुख्य न्यायाधीश के समक्ष फिर एक-दूसरे के हुए पति-पत्नी।

फिर एक दूजे के हुए पति-पत्नी

1. रौशन हारा उर्फ तरन्नुम : पति मो. इरसाद खान
2. असगरी परवीन :काफिल अख्तर
3. बाजदा तब्बसूम = मेहराव अली
4. अर्चना देवी : अरविंद कुमार

इन लाभुकों को मिला चेक

- कार्तिक राम गुप्ता : नौ लाख 50 हजार
- कौशिला देवी : तीन लाख 69 हजार
- कुजू उरांव : तीन लाख
- मनु कुजूर और ऋतु कुजूर, पति-पत्नी को संयुक्त : दो लाख 70 हजार
- सोहगी देवी : तीन लाख 55 हजार
- सावित्री देवी : तीन लाख 30 हजार

46 वर्ष पुराना केस भी सुलझा

रांची गोशाला न्यास का 46 वर्ष पुराना मामला भी नेशनल लोक अदालत में सुलझा। सरकार ने गोशाला का जमीन का अधिग्रहण किया था। इसके एवज में मुआवजा नहीं मिला था। लोक अदालत में 57 लाख 12 हजार 664 रुपये मुआवजा के रूप में दिया गया।